समयबद्ध/अतिमहत्वपूर्ण

संख्या– 646 /9–1–2022–02निर्वाचन/2022

प्रेषक,

डॉ0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

1. जालौन	2. ललितपुर	3. शाहजहाँपुर	4. बदायूँ	5. पीलीभीत	6. बस्ती
7.कुशीनगर	8. महराजगंज	9. सिद्धार्थनगर	10.संतकबीरनगर	11. देवरिया	12.कानपुर देहात
13. कन्नौज	14. फर्रूखाबाद	15. मुरादाबाद	16. बिजनौर	17. रामपुर	18. अमरोहा
19. बागपत	20. बुलन्दशहर	21.संतरविदासनगर	22. सोनभद्र	23. बॉदा	24. महोबा
25. चित्रकूट	26. कौशाम्बी	27. प्रयागराज	28. प्रतापगढ़	29. फतेहपुर	30. सहारनपुर
31. बहराइच	32. बलरामपुर	33. वाराणसी	34. जौनपुर	35. बाराबंकी	36. सुल्तानपुर
37. अयोध्या	38.अम्बेडकरनगर	39. अमेठी	40. बलिया	41. मऊ	42. आजमगढ़
43. मथुरा	44. मैनपुरी	45. फिरोजाबाद	46. आगरा	47. एटा	48. हाथरस
49. अलीगढ़	50. कुशीनगर	51. महराजगंज	52. गोरखपुर	53.रायबरेली	54. सीतापुर
55. उन्नाव	56. लखीमपुर खीरी	57. लखनऊ।			

नगर विकास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 28 अप्रैल, 2022

विषय–नवसृजित/सीमा विस्तारित नगरीय निकायों में निर्वाचन के प्रयोजनार्थ वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर कक्षों का निर्धारण एवं परिसीमन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–625/9–1–2022–02निर्वाचन/2022, दिनांक 26 अप्रैल, 2022 **(छायाप्रति संलग्न)** का कृपया सन्दर्भ करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से शासनादेश दिनांक–04.04.2017 एवं दिनांक 19.07.2017 में निर्धारित व्यवस्थानुसार संलग्न नवसृजित/सीमा विस्तारित 151 नागर निकायों की संलग्न सूची में अंकित नागर निकायों के कक्षों की संख्या का निर्धारण एवं परिसीमन की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए, कक्ष निर्धारण एवं परिसीमन का प्रस्ताव दिनांक 05.05.2022 तक निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. अवगत कराना है कि उक्त 151 नागर निकायों की सूची में नगर पालिका परिषद सरसावॉ, जनपद सहारनपुर एवं नगर पालिका परिषद भरवारी, जनपद कौशाम्बी का नाम त्रुटिवश छूट गया था, जिसमें भी नागर निकाय सामान्य निर्वाचन, 2022 के प्रयोजनार्थ कक्षों की संख्या का निर्धारण एवं परिसीमन कराया जाना अनिवार्य एवं अपरिहार्य है।

3. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासनादेश दिनांक 26. 04.2022 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार निकायों के कक्षों की संख्या का निर्धारण एवं परिसीमन की कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए, कक्ष निर्धारण एवं परिसीमन का प्रस्ताव दिनांक 05.05.2022 के स्थान पर अब दिनांक 12.05.2022 तक (शासनादेश के प्रारूप–क के अनुसार) एवं अधिसूचना आलेख्य हिन्दी तथा अंग्रेजी में (शासनादेश के प्रारूप–ख के अनुसार) एमएस वर्ड (MS Word) में Kruti Dev 010 फान्ट साइज 16 प्वाइन्ट पर कराकर, हार्ड एवं सॉफ्ट

कापी में 03–03 प्रतियों में, निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त नगर निगम, लखनऊ के संबंध में पृथक से समय दिया जायेगा।

भवदीय,

(डॉ0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0, (पंचायत एवं नगरीय निकाय) लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त झॉसी, बरेली, बस्ती, कानपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मिर्जापुर, चित्रकूट, प्रयागराज, सहारनपुर, देवीपाटन, वाराणसी, अयोध्या, आजमगढ़, आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर, लखनऊ मण्डल।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित जनपदों से नगरीय निकायों के कक्षों के निर्धारण एवं परिसीमन का प्रस्ताव प्राप्त करके संकलित प्रस्ताव शासन को दिनांक 15.05.2022 तक प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित नगर आयुक्त,/संबंधित अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/संबंधित अधिशासी अधिकारी (द्वारा जिलाधिकारी)
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अन्नावि दिनेशकुमार)
विशेष सचिव।